846 (09) 840

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 18c95d5a539fa50b30f2
Receipt Date : 06-Sep-2023 09:30:25 am
Receipt Amount : 68000/-
Amount In Words : Sixty Eight Thousands Rupees Only
Token Number : 202300120302
Office Name : SRO - Simdega
Document Type : Sale Deed
Payee Name : SUDHIR PRADHAN (Vendee)
GRN Number : 2319107984

-: For Office Use :-

12.9.23

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

सुधीर प्रधान

04-09-23

Fee Paid
A1 .... 51000/-
Land Lord Fee 08/-
Process Fee 01/-

Valuation Per Decimals
Land 77272/-

विक्रय सम्पति प्रतिबन्धित भूमि की सूची के अन्तर्गत नहीं है।

Anjelus Indwar
04/09/2023

बिकय–पत्र

(परमिशन वाद सं. 142/2023–24 आदेश दिनांक 08.08.2023, **U/S 46 C.N.T. Act**)

1. लेख्यकारी :– श्री अंजेलुस इन्दवार, उम्र 45 वर्ष पिता स्व. इग्नेस इंदवार, दादा स्व. मानुएल खड़िया, श्रेणी अनुसूचित जनजाति (सी. एन. टी. एक्ट–1908 के अन्तर्गत आते है), पेशा नौकरी, निवास ग्राम गोतरा, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा हाल मोकाम आर्दश नगर कोकर, थाना सदर, जिला रॉंची, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक,
आधार नं. – **XXXX XXXX 9261**, मो. नं. 9304599429

PAN No. – ABAPI7567H

Holding No. – 003000077500OM0

शपथ पत्र संख्या – 620/2023

.... बिकेता।

मूल पहचान पत्र एवं अन्य

मार्ग दर्शिका ...

2. लेख्यधारी :– श्री सुधीर प्रधान, उम्र 33 वर्ष, पिता स्व. करमु प्रधान, दादा स्व. जनक प्रधान, श्रेणी अनुसूचित जनजाति (सी. एन. टी. एक्ट–1908 के अन्तर्गत आते है), पेशा कृषि, निवास ग्राम लसिया, पोस्ट कुलुकेरा, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा, राज्य झारखण्ड, राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक, आधार नं. – **XXXX XXXX 3592**, मो. नं. 8521618722

PAN No. – FJZEP1223H

शपथ पत्र संख्या – 621 /2023

.... केता।

3. लेख्यप्रकार :– बिक्रय–पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा दिन के लिए होता है।
4. मूल्य :– मोबलिग 17,00,000/– (सत्तरह लाख रूपये) मात्र होता है।
5. संपत्ति का विवरण :– आवासीय संरचना सहित अन्दर मौजा सलडेगा खास (उत्तरी), वार्ड नं. 03, थाना नं. 117, थाना सिमडेगा, जिला सिमडेगा के खाता नं. 06 (छः), प्लाट नं. 1135 (ग्यारह सौ पैंतीस) अंश रकबा 0.22 एकड़ (बाईस डिसमील) आवासीय योग्य जमीन जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है। जमीन का माप उत्तरी भुजा – 111.6 फीट, दक्षिणी भुजा – 92 फीट, पूर्वी भुजा – 43 फीट व 56 फीट, पश्चिमी भुजा – 43 फीट व 49.5 फीट एवं बीच में 120.6 फीट व 86.6 फीट तथा चौहद्दी निम्न है:–

उत्तर – मकान बारी रायमन टेटे,
दक्षिण – बारी सुनील डुंगडुंग वगैरह,
पूरब – टांड़ प्लाट नं. 1196,
पश्चिम – घेरा मकान गणेश साहू वो छोड़ा गया 9 फीट का कच्चा रास्ता (अन्य पथ) एवं इसी प्लाट का अंश खरीदगी शीलास मिंज।

मौजा	थाना नं.	थाना	जिला	खाता नं.	प्लाट नं.	रकबा
सलडेगा खास	117	सिमडेगा	सिमडेगा	06	1135	0.22 ए.

कुल एक खाता का एक प्लाट का कुल रकबा **0.22** एकड़ (बाईस डिसमील) कुल मालगुजारी 10 पैसा प्रति वर्ष अलावे सेस। वर्णित बिक्रीत जमीन शहरी क्षेत्र के चार भागों में से आवासीय योग्य जमीन है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है तथा उक्त जमीन को पूर्व में अन्यत्र बिक्री, दान, एकरारनामा, बंधक या लीज नहीं किया गया है।

1. चूंकि मुझ लेख्यकारी को मकान निर्माण हेतु रूपयों की सख्त जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था बिना जमीन बेचे रूपैया मिलने की कोई अन्य उपाय नहीं पाकर मैंने लेख्यधारी से मेरी उक्त वर्णित जमीन खरीदने की प्रार्थना किया जिसे उन्होनें सहर्ष स्वीकार किया।
2. इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थ्यता में रह कर उपर खाना संख्या पॉच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारी के हाथ नगद कीमत पाकर बेचा व बेची गयी जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया। अब से बेची गयी जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आईन्दा रहेगा।
3. चूंकि हम दोनों पक्ष लेख्यकारी एवं लेख्यधारी आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य है अतः जमीन बिक्री से पूर्व मैंने सी. एन. टी. एक्ट अन्दर दफा 46 का मुकदमा वाद सं. 142/2023–24 श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सिमडेगा के न्यायालय में किया जिसकी स्वीकृति दिनांक 08/08/2023 को हुई और मेमो नं. **404(ii)** दिनांक 08/08/2023 के अनुसार मुझे तथा जिला सब रजिस्ट्रार, सिमडेगा को प्रतिलिपि भेजी गई।
4. मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित बिक्रीत जमीन मेरी रैयती खरीदगी है जिसे मैं बिक्रेता श्री कल्याण डुंगडुंग से वजरिये निबंधित केवाला पट्टा सं. 641/634 वर्ष 2018 दिनांक 20/11/2018 ई. के द्वारा खरीद किया हूँ जिसका बुक सं. 01, भोल्यूम सं. 54, पृष्ठ सं. 97 से 152 तक है। जिसका रजिस्ट्री जिला अवर निबंधन कार्यालय सिमडेगा में हुई है। तत्पश्चात कार्यालय अंचल अधिकारी, सिमडेगा के दाखिल खारिज वाद सं. 115 आर 27/2021–2022 स्वीकृति तिथि 28/08/2021 ई. के द्वारा मेरे नाम से दाखिल खारिज

Anjelus Indwar
04/09/2023

होकर मालगुजारी की रसीद मेरे नीज नाम से कटती है जो पंजी II के भोल्यूम सं. 17 पृष्ठ सं. 64 में दर्ज है। खतियान के आधार पर उक्त जमीन कायमी है तथा रैयत का नाम इलिआजर खड़िया वगैरह के नाम से दर्ज है। वर्णित जमीन पर मेरा निर्विवाद हक दखल व कब्जा है तथा किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या वारदेन नहीं है।

5. अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी खरीदगी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर मकान एवं कुऑ बारी इत्यादि बनाकर अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारीज करा कर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें।

6. इसलिए यह बिक्रय–पत्र केवाला बैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिये कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे।

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि वर्णित जमीन भू–हदबन्दी, कैसर–ए–हिन्द, खास महाल, भूदान, गैरमजरूआ, लीज, वन भूमि या किसी प्रकार के प्रतिबंधित सूची से संबंधित नहीं है।

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि वर्णित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

Anjelus Indwar
04/09/2023

सही – Anjelus Indwar
04/09/2023

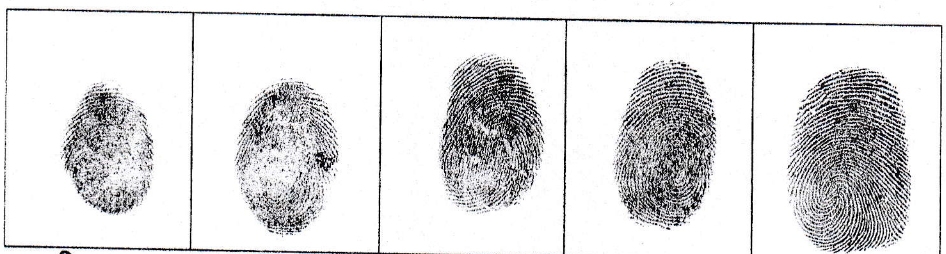

कनिष्ठा अनामिका मध्यमा तर्जनी अंगूठा

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के बाएँ हाथ की पाँचो अँगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया गया।

Radhyman Singh

.5.

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व धारित वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है।

सही – सुधीर प्रधान
04/09/023

Suc[redacted]han

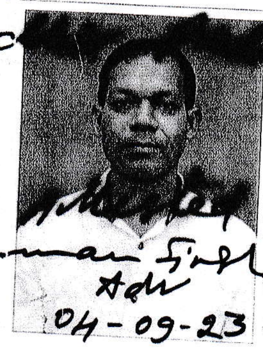

[redacted]
Padumani Singh
Adv
04-09-23

Anjelus Indwar
04/09/2023

कनिष्ठा | अनामिका | मध्यमा | तर्जनी | अंगूठा

Dipa[redacted]Thakur

पहचानकर्त्ता – दीपक कुमार ठाकुर
04-09-2023

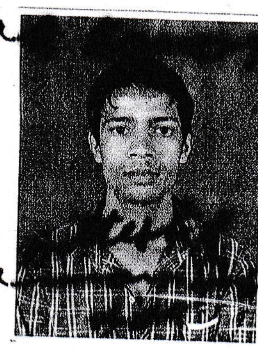

Padu[redacted]h
04-09-23

कनिष्ठा | अनामिका | मध्यमा | तर्जनी | अंगूठा

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारी एवं पहचानकर्त्ता के बाएँ हाथ की ...

लेख्यकारी के कहे अनुसार इस बिकय–पत्र केवाला दस्तावेज का प्रारूप तैयार कर दोनों पक्षों को उनके गवाहों के सामने पढ़ कर सुना वो समझा दिया वो स्वंय भी पढ़ कर दस्तावेज स्वीकार किये।

हस्ताक्षर/– Padumman Singh

(प्रारूपकर्त्ता)

तरीख – 04-09-23

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के कुल 6 पृष्टो में टंकित है जो खण्डन रहित वो नक्शा सहित है।

टंकक – दर्शन बैठा 29-08-2023

दर्शन बैठा

कचहरी परिसर, सिमडेगा।

<u>अनुलग्नक</u>

1. बिकेता का पैन कार्ड का छाया प्रति
2. केता का पैन कार्ड का छाया प्रति
3. शेडयूल का मूल प्रति
4. अंतिम आदेश एवं अंचल जांच प्रतिवेदन का सच्ची प्रतिलिपि
5. मालगुजारी रसीद का छाया प्रति
6. शुद्धि पत्र का छाया प्रति
7. केवाला पट्टा का छाया प्रति
8. खतियान का छाया प्रति
9. होल्डिंग टैक्स का छाया प्रति
10. ट्रैश नक्शा का मूल प्रति
11. सर्वे नक्शा का छाया प्रति।

प्रमाणित किया जाता है कि क्रेता, विक्रेता एवं पहचान की स्व अभिप्रमाणित फोटोयुक्त छायाप्रति दस्तावेज के साथ संलग्न किया है या विवरणी दिया है तो पूर्ण रुप से सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं जालसाजी पाए जाने पर मैं स्वयं इसका जिम्मेदार रहूँगा।

Anjelus Indwar
04/09/2023